



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2558]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937

No. 2558]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

का.आ. 3239 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के तहत लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त सरकार की शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्वधीन तथा अगले आदेशों तक, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11028/03/2015-यूटीएल]

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2015

S.O. 3239(E).— In pursuance of powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers and the functions of the appropriate Government under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) shall, subject to the control of the President, and until further orders, be exercised and discharged, in relation to the Union Territory of Lakshadweep by the Administrator of the Union Territory of Lakshadweep.

[F. No. U-11028/03/2015-UTL]

DILIP KUMAR, Jt. Secy.